

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग  
-: अधिसूचना :-

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि राजातालाब जलाशय योजनान्तर्गत भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. जिला-      | रायगढ     |
| 2. तहसील-     | घरघोडा    |
| 3. नगर/ग्राम- | बहिरकेला  |
| 4. क्षेत्रफल- | 0.129 हे० |

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
160/1	0.036
160/2	0.093
कुल ख०न०- 02	कुल रकबा 0.129 हे०

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(यशवंत/कुमार)  
कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन  
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग